

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम-जहाजपुर (शाहपुरा)
नारायण सिंह पिता रेवतसिंह राजपूत निवासी-कुचलवाड़ा खुर्द
बनाम

धन्नालाल पिता कल्याण बैरवा निवासी-कुचलवाड़ा खुर्द, वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 आर. एल.आर.ए. मुकदमा नं. 463/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
28.5.24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की ग्राम कुचलवाड़ा, प.ह. टीकड़, तहसील-जहाजपुर में स्थित आराजी खसरा संख्या 420/2 रकबा 0.3348, आराजी संख्या 421/2 रकबा 0.1296 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बन्ध 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र पत्र 111, 128 रा.ले. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम कुचलवाड़ा, प.ह. टीकड़, तहसील-जहाजपुर में स्थित आराजी खसरा संख्या 420/2 रकबा 0.3348, आराजी संख्या 421/2 रकबा 0.1296 हैक्टर कृषि भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000/-रुपये तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200/-रुपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 28.5.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला-शाहपुरा

क्रमांक / रीडर / 2024 463/2024

दिनांक :- 28.05.2024

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र.सं. 463/24 अनवान नारायण सिंह पिता रेवतसिंह राजपूत निवासी-कुचलवाड़ा खुर्द बनाम धन्नालाल पिता कल्याण बैरवा निवासी-कुचलवाड़ा खुर्द, राजेश कुमार पिता दुर्गालाल बैरवा निवासी-कुचलवाड़ा खुर्द, प्रहलाद सिंह पिता जेतसिंह राजपूत निवासी-कुचलवाड़ा खुर्द, शंकर सिंह पिता जेतसिंह राजपूत निवासी-कुचलवाड़ा खुर्द, शोजीसिंह पिता जेतसिंह राजपूत निवासी-कुचलवाड़ा खुर्द, देवेन्द्रसिंह पिता भैरुसिंह राजपूत निवासी-नागोला, तहसील-भिनाय, जिला-केकड़ी, नारायण सिंह पिता रेवतसिंह राजपूत निवासी-कुचलवाड़ा खुर्द, रघुवीर सिंह पिता रेवतसिंह राजपूत निवासी-कुचलवाड़ा खुर्द, सुमेरसिंह पिता जेतसिंह राजपूत निवासी-कुचलवाड़ा खुर्द, कैलाश चन्द्र पिता रामदयाल कलाल निवासी-कुचलवाड़ा खुर्द, प्रमोद पिता चतुर्भुज कलाल निवासी-कुचलवाड़ा खुर्द, मेवासचन्द्र पिता रामदयाल कलाल निवासी-कुचलवाड़ा खुर्द, राधेश्याम पिता रामदयाल कलाल निवासी-कुचलवाड़ा खुर्द, लादूलाल पिता रामदयाल कलाल निवासी-कुचलवाड़ा खुर्द, बलवीर सिंह पिता बदरीलाल चमार निवासी-कुचलवाड़ा खुर्द, राजेश कुमार पिता दुर्गालाल बैरवा निवासी-कुचलवाड़ा खुर्द, कौशलया पत्नि समर्थसिंह सांसी निवासी-नासरदा, तहसील-देवली, जिला-टोंक की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम कुचलवाड़ा, प.ह. टीकड़, तहसील-जहाजपुर में स्थित आराजी खसरा संख्या 420/2 रकबा 0.3348, आराजी संख्या 421/2 रकबा 0.1296 हैक्टर कृषि भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000/-रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/सम्मन भेजकर उभय पक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी आदेश पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)